(...लवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला अलवर

अध्याशितः– श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

अपील सं0 ../19

दायर दिनांक 26.9.19

निर्णय दिनांक 8.3.22

उनवान

1. गुरदयाल उम्र करीब 60 साल पुत्र श्री मामराज जाति कुम्हार निवासी पाटन मेवान तहसील किशनगढ–बास जिला अलवर राज0 ।

:–अपीलान्टाः–

बनाम

1. ग्राम पंचायत पाटन मेवान पंचायत समिति किशनगढ–बास जिला अलवर राज0। जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पाटन मेवान
2. रोहिताश पुत्र मामराज जाति कुम्हार निवासी पाटन मेवान तहसील किशनगढ–बास जिला अलवर राज0।
3. धर्मवीर उम्र करीब साल पुत्र मामराज जाति कुम्हार निवासी पाटन मेवान तहसील किशनगढ–बास जिला अलवर राज0।

:– रेस्पोडेन्टानः–

अपील इंतकाल सं0 842 वाके ग्राम पाटन मेवान

उपस्थितिः– श्री अपीलार्थी की ओर से पुष्प कुमार वकील
श्री रेस्पो0 3 की ओर से चुन्नीलाल वकील

निर्णय 8.3.22

अपील अपीलांट के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–

वकील अपीलार्थी ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपील विरूद्ध निर्णय्र दिनांक 25–11–1995 ग्राम पंचायत पाटन मेवान पंचायत समिति किशनगढ–बास जिला अलवर बाबत विरासत इंतकाल सं0 842 वाके ग्राम पाटन मेवान तहसील किशनगढ–बास के बाबत दायर की जा रही है कि जो वाके हदूद अदालत श्रीमान है अतः अपील हाजा काबिल समाअत अदालत श्रीमान है ।

अपील हाजा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा सं0 1081 रकबा 0–17 बिस्वा (0.20हे0), 1086 रकबा 1–17 बिस्वा (0.47हे0), 1093 रकबा 2–09 बिस्वा (0.62हे0) वाके ग्राम पाटन मेवान तहसील किशनगढ–बास जिला अलवर स्थित है । जो आराजी मिन अपीलान्ट के पिता मामराज पुत्र चन्दर जाति कुम्हार निवासी पाटन मेवान

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

Scanned with OKEN Scanner

तहसील किशनगढ–बास जिला अलवर की खरीदशुदा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी।

विरासत इंतकाल सं0 842 वाके ग्राम पाटन मेवान तहसील किशनगढ–बास जिला अलवर कानून व मौका के खिलाफ स्वीकार किया गया है मृतक मामचन्द पुत्र चन्दर द्वारा आरजी खसरा सं0 1081 रकबा 0–17 बिस्वा (0.20हे0), 1086 रकबा 1–17 बिस्वा (0.47हे0), 1093 रकबा 2–09 बिस्वा (0.62हे0) वाके ग्राम पाटन मेवान तहसील किशनगढ–बास जिला अलवर की वासीयत मिन अपीलान्ट व धर्मवीर रेस्पो0 नं0 3 के हक में की हुई है तथा जो वसीयत मृतक मामराज की अन्तिम वसीयत थी, जो उसकी मृत्यु के बाद प्रभाव में आ चुकी है । उपरोक्त आराजीयात का नामान्तकरण मिन अपीलान्ट व धर्मवीर रेस्पो0 नं0 3 के हक में दर्ज व मंजूर होना चाहिए था, लेकिन रेस्पो0 सं0 2 द्वारा खिलाफ मौका व खिलाफ कानून सभी वारिसान के नाम गलत रूप से नामान्तकरण दर्ज कराया है लिहाजा आज्ञा उक्त हरसूरत में काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे ।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे एवं निर्णय दिनांक 25–11–1995 ग्राम पंचायत पाटन मेवान पंचायत समिति किशनगढ–बास जिला अलवर बाबत विरासत इंतकाल सं0 842 वाके ग्राम पाटन मेवान तहसील किशनगढ–बास निरस्त फरमाया जाकर मृतक मामराज पुत्र चन्दर जाति कुम्हार नि0 पाटनमेवान का वसीयत के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किये जाने की आज्ञा सादिर प्रदान की जावे ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो0 नं0 1 व 2 बावजूद सूचना उपस्थिति नही हुए । उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो0 3 ने जवाब पेश ना कर बहस पेश करने का निवेदन किया। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यो को दोराते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील रेस्पो0 ने भी अपील अपीलांट स्वीकार करने हेतु सहमति दी है।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न इंतकाल सं0 दिनांक 842 में अपीलांट व रेस्पो0 के हक में स्वीकार हो गया जबकि मृतक मामचन्द पुत्र चन्दर द्वारा आराजी ख0न01081 रकबा 0–17 बिस्वा (0.20हे0), 1086 रकबा 1–17 बिस्वा (0.47हे0), 1093 रकबा 2–09 बिस्वा (0.62हे0) वाके ग्राम पाटन मेवान तहसील किशनगढ–बास अलवर वसीयत मिन अपीलान्ट व धर्मवीर रेस्पो0 नं0 3 के हक में दिनांक 26.06.90 को पुस्तक सं0 3 जिल्द सं0 10 पृष्ट सं0 141 30 पर पंजीबद्व कराया है । चूकि वसीयत में अंकित आराजी मृतक की खरीदशुद्वा आराजी है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

Scanned with OKEN Scanner

लेकिन इंतकाल सं0 842 वाके ग्राम पंचायत दिनांक 25.11.1995 खारिज किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि :–

अपील अपीलांट स्वीकार कर ग्राम पंचायत पाटन मेवान का निर्णय दिनांक 25.11.1995 खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार किशनगढबास को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाडं किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात (वसीयतनाम दि0 26.6.90 या अन्य कोई साक्ष्य) एवं वारिसान के सम्बध में जांच कर नियमानुसार निर्णय पारित कर नामांतकरण दर्ज करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

Scanned with OKEN Scanner